न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 201/2018

अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट

1. हाथी सिंह गोद पुत्र अनोप सिंह के कायम मुकाम :–
   1/1 इन्द्रा कंवर पत्नी स्व0 हाथी सिंह
   1/2 नरसिंह पुत्र स्व0 हाथी सिंह
   1/3 पवन कंवर पुत्री स्व0 हाथी सिंह
   1/4 पोलसिंह पुत्र स्व0 हाथी सिंह
   1/5 गुलाब कंवर पुत्रवधु स्व0 जोरसिंह
   1/6 भोमसिंह पुत्र स्व0 जोरसिंह
   1/7 विशनसिंह पुत्र स्व0 जोरसिंह
   1/8 ममता कंवर पुत्री स्व0 जोरसिंह
   (नबालिग 1/6 से 1/8 जरिये कुदरती वलिया माता गुलाबकंवर पत्नी स्व0 जोरसिंह)
   1/9 झबर सिंह पुत्र स्व0 हाथी सिंह
   1/10 लहर कंवर पुत्री स्व0 हाथी सिंह
   1/11 गुलाब सिंह पुत्र स्व0 हाथी सिंह
   1/12 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 हाथी सिंह
   1/13 सायर कंवर पुत्री स्व0 हाथी सिंह
   1/14 जसु कंवर पुत्री स्व0 हाथी सिंह
   (सभी जातियान राजपूत, निवासीगण मोतीसर सूणाकलां, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर)

तहसीलदार भणियाणा, जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 (एफ) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार भणियाणा, द्वारा नामान्तरकरण संख्या 128 अस्वीकृत किया गया परन्तु नामान्तरकरण पर तारीख का कोई उल्लेख नही किया गया।

उपस्थित–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, वकील अपीलाण्ट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक .01.2023

यह अपील राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार भणियाणा, जिला जैसलमेर द्वारा अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 128 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील भणियाणा के ग्राम मोतीसर, पटवार हल्का लूणाकलां के उल्लेखित खसरान की भूमि अनोपसिंह पुत्र जेठमल सिंह कौम राजपूत सा0 लूणाकलां के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जो माफिक तहसीलदार भणियाणा के आदेश कमांकः 2014/468 दिनांक 04.04.2014 व मा0 जिला न्यायाधीश जैसलमेर के दिवानी मूल वाद संख्या 14/2007 द्वारा हाथी सिंह को अनोपसिंह का गोद पुत्र व अनोपसिंह की तमाम चल व अचल सम्पति का हकदार घोषित करने पर हल्का पटवारी लूणाकलां द्वारा दिनांक 5.4.14 को खोला जाकर जांच एवं स्वीकृति हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, लूणाकलां के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 12.4.14 को बाद जांच मुताबिक तहसीलदार के आदेश एवं जिला न्यायाधीश जैसलमेर के निर्णय अनुसार अंकन सही होने की टिप्पणी अंकित कर, तहसीलदार भणियाणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार भणियाणा द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 128 पर यह नोट अंकित कर अस्वीकृत कर दिया गया कि ''राजस्व मंडल में रेफरेंस में दिनांक 4.10.1988 को दिये गये निर्णय में ना0क0सं0 9 निरस्त किया गया था, न्यायालय जिला न्यायाधीश जैसलमेर द्वारा दिनांक 6.5.2008 को गोदनामा का निर्णय किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा संबंधित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी थी, अतः नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता है।'' इस पर तारीख का कोई उल्लेख नही किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि विवादित नामान्तरकरण सं0 128 हल्का पटवारी लूणाकलां द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 119 के तहत म्युटेशन परत पर दिनांक 5.4.14 को इन्द्राज किया गया तथा म्युटेशन के कॉलम नम्बर 14 से 16 में तहसीलदार भणियाणा के आदेश दिनांक 4.4.14 व जिला न्यायाधीश जैसलमेर के दिवानी मूल वाद सं0 14/07 दिनांक 6.5.2008 को उल्लेखित किया गया था। उक्त निर्णय के तहत हाथीसिंह को अनोपसिंह का गोद पुत्र मानते हुए तमाम

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अचल सम्पत्ति का हकदार मानते हुए ना0क0 खोला जाकर जांच एवं स्वीकृति हेतु पेश किया गया तथा लैण्ड रिर्कार्ड रूल्स 121 के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक लूणाकलां ने जांच करके दिनांक 12.4.14 को इन्द्राज किया कि तहसीलदार के आदेश एवं श्रीमान जिला न्यायाधीश के निर्णय अनुसार अंकन सही है। लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121(2) के तहत तहसीलदार को उक्त म्युटेशन 15 दिन के अन्दर स्वीकृत या अस्वीकृत करना चाहिए था। परंतु तहसीलदार भणियाणा ने उक्त म्युटेशन पेंडिग रखते हुए वर्ष 2018 में स्थानांतरण होने से पहले बिना तारीख डाले अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त सारे इन्द्राज लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की पालना में नही किए गये है तथा तहसीलदार भणियाणा ने बिना जांच किए तथा बिना कारण विवादित म्युटेशन को अस्वीकृत कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में यह भी आग्रह किया गया कि तहसीलदार भणियाणा ने जब उक्त म्युटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 4.4.14 को कर दिया था, तो उन्हें इसे अस्वीकृत करने का अधिकार नही था। सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बाध्य है, मा0 'जिला न्यायाधीश जैसलमेर ने अपीलांट–हाथीसिंह को अनोपसिंह का गोद पुत्र घोशित कर दिया था। अतः अपीलांट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार अनोपसिंह का प्रथम श्रेणी का वारिशान होने के कारण तहसीलदार भणियाणा द्वारा उक्त म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए था। जबकि उसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों व सिविल न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर विवादित म्युटेशन अस्वीकार करने का कारण, यह उल्लेखित किया कि जिला न्यायाधीश जैसलमेर के निर्णय दिनांक 6.5.08 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी है, जो कि विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। इसके अलावा उक्त ना0क0 अस्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार भणियाणा ने अपीलांट को नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में मा0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B.Civil Writ Petition N0. 2678/1988 में पारित आदेश दिनांक 30.09.1997 की प्रति–RRD 1999, RRD Feb 2001, RRD 2000 पेज नं0 132-134, RRD 14.5.16 पेज नं0 243.249 की निर्णय नजीरे व इस मामले में मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा रेफरेंश / एलआर / 13 / 87 में पारित आदेश दिनांक 4.10.88 की प्रति प्रस्तुत की गई।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

[illegible]. रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि प्रकरण में जिला न्यायाधीश जैसलमेर के दिवानी मूल वाद संख्या 14/2007 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2008 द्वारा हाथी सिंह को मृतक खातेदार अनोपसिंह का गोद पुत्र होने की घोषणा व डिक्री की पालना में उक्त ना0क0 खोला गया था, जिसे तहसीलदार भणियाणा द्वारा भूलवश अस्वीकृत कर दिया गया। अतः सिविल न्यायालय के आदेश पालना हेतु प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया।

[illegible]. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि माफिक आदेश तहसीलदार भणियाणा दिनांक 4.4.2014 व माननीय जिला न्यायाधीश जैसलमेर के दिवानी मूल वाद संख्या 14/2007 अनवान हाथीसिंह बनाम राणसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.05.2008 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 128 को तहसीलदार भणियाणा द्वारा बिना तारीख अंकित करते हुए अस्वीकृत करने में कोई विधिक भूल हुई है, जिसका सुधार होना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस मामले में सक्षम न्यायिक आदेश की पालना में विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06/01/2023

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर